संवैधानिक / मौलिक अधिकार–

- मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है कि जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाते है और इनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नही किया जा सकता।
- इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योकि इन्हे देश के संविधान में स्थान दिया गया है तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त इनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता।
- साधारण कानूनी अधिकारों को राज्य द्वारा लागू किया जाता है तथा उनकी रक्षा की जाती है जबकि मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा लागू किया जाता तथा संविधान द्वारा ही सुरक्षित किया जाता है ।
- साधारण कानूनी अधिकारों में विधानमण्डल द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है परन्तु मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में परिवर्तन करना आवश्यक है।

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा, नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

संवैधानिक / मौलिक अधिकार–

- **समानता का अधिकार (अनु0 14 से 18)** भारत का प्रत्येक नागरिक कानून की नजर में समान है। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, (लड़का / लड़की) के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद–भाव नही किया जायेगा। सभी को नौकरियों में बिना भेद–भाव के समान अवसर प्रदान किये जायेगें।
- **स्वतन्त्रता का अधिकार– (अनु0 19 से 22)** भारत में प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी गॉव, शहर, राज्य का निवासी हो उसे अपनी बात कहने व अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता है। इसी के साथ वह शान्तिपूर्ण सम्मेलन कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, पूरे देश में बिना रोक–टोक के वह घूम सकता या रह सकता है। इसी के साथ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार जीवन जीने का अधिकार है।
- **शोषण के विरूद्ध अधिकार–(अनु0 23 से 24)** इस अधिकार के अन्तर्गत कोई भी किशोर / किशोरी जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है उसे किसी भी कारखाने या जोखिम भरे कार्यों को करवाना कानूनी अपराध है। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का भेदभाव (जाति, धर्म, वंश, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर) नही किया जा सकता ।

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा, नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

संवैधानिक / मौलिक अधिकार–

- **धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार––(अनु0 25 से 28)** इस मौलिक अधिकार के अन्तर्गत राज्य का अपना कोई धर्म नही होगा उसकी नजर में सभी धर्म बराबर हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म का पालन करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है।
- **संस्कृति और शिक्षा संम्बन्धी अधिकारी –(अनु0 29 से 30)** भारत में प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का मूल अधिकार है शिक्षण संस्थान किसी भी व्यक्ति को उसके मूल वंश, जाति, धर्म, और भाषा के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने से नही रोक सकते है।
- **संवैधानिक उपचारों का अधिकार––(अनु0 32)** अगर व्यक्ति को उसके मूल अधिकार नही मिल रहे है तो वह न्यायालय की शरण में जाकर अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है।
- **आओ जाने–** किसी भी व्यक्ति जिसकी आयु 06 से 18 वर्ष के बीच है उसे प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता का संरक्षण मिला है। इसक मतलब यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने एवं व्यक्तिगत रूप से स्वतन्त्र रहने से वंचित नही किया जा सकता है। इसी अधिकार में अनुच्छेद 21 (क) जोड़ा गया है जिसके अनुसार भारत को प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है।

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा, नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें